पत्रांक– बाढ़ नि0 रूपां0 प्र0–01–तक0(अना0)–49 / 2025–

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,
जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना।

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
परियोजना कार्यन्वयन ईकाई–मुजफ्फरपुर–842001,
पावापुरी बिहार (द्वितीय तल), भगवानपुर, मुजफ्फरपुर।
(email-muz@nhai.org)

पटना, दिनांक–

विषयः– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर के अधीन मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बागमती नदी के दाँये तटबंध के कि0मी0 60.90 (जनाढ़) एवं बाँये तटबंध के कि0मी0 54.60 पर अवस्थित कटौंझा ब्रीज के निम्न प्रवाह में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यन्वयन ईकाई, मुजफ्फरपुर द्वारा (4 laning of Muzaffarpur-Sitamarhi-Sonbarsa Section of NH-22 के बागमती नदी Chainage-22+850) पर संरचना निर्माण हेतु प्रथम चरण अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) निमित्त सैद्धान्तिक सहमति निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक पत्र के क्रम में मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर परिक्षेत्राधीन बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर के अधीन मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बागमती नदी के दाँये तटबंध के कि0मी0 60.90 (जनाढ़) एवं बाँये तटबंध के कि0 मी0 54.60 पर अवस्थित कटौंझा ब्रीज के निम्न प्रवाह में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यन्वयन ईकाई, मुजफ्फरपुर द्वारा (4 laning of Muzaffarpur-Sitamarhi-Sonbarsa Section of NH-22 के बागमती नदी Chainage-22+850) पर संरचना निर्माण हेतु प्रथम चरण अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) निमित्त सैद्धान्तिक सहमति निम्न जलीय आँकड़ों एवं शर्तों के साथ दी जाती हैः–

जलीय आँकड़ेः–

1	Design Discharge	8432 Cumec
2	H.F.L	58.36 m
3	Free Board	1.80m

शर्तें :–

1. NHAI, Project Implementation unit, Muzaffarpur, द्वारा Consultancy Service for preparation of Detailed Project Report for the work of 4 laning of Muzaffarpur Sitamarhi-Sonbarsa Section of NH-22 के बागमती नदी Chainage-22+850 पर प्रस्तावित प्रमुख पुल का निर्माण कार्य (स्पैन व्यवस्थाः 1x 17.5m, 5x61.00m, 1x 17.5=340m), कि0मी0 Chainage 21+965 पर प्रस्तावित प्रमुख पुल–सह–अंडरपास (स्पैन व्यवस्थाः 6x 45m=270m) तथा नदी के एप्रोच रोड में (1x 3.0m x 3.0m),(1 x 2.0m x 2.0m) एवं (1 x 2.0m x 2.0m)

आकार के विभिन्न बिन्दुओं पर Box Culvert, जिसका कुल उपलब्ध जलमार्ग 617 मी0 होगा, को विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप सुनिश्चित कराना होगा।

2. प्रस्तावित संरचना के दाँये तरफ 5 x 45 m Span का प्रावधानित Waterway को Approach Road के अन्य बिन्दु (नदी की मुख्य धारा के आस–पास) पर बनाना होगा।

3. विषयांकित स्थल पर नदी का Free Board 1.80 m रखते हुए Afflux के साथ Girder का Sofit Level का निर्धारण रूपांकण में करना होगा।

4. पुल निर्माण के दौरान सभी अपेक्षित मानकों का पूर्णतः पालन किया जाएगा एवं पुल निर्माण कार्य सभी सुरक्षात्मक उपायों के साथ कराना होगा।

5. कार्य स्थल के आवश्यक बिन्दुओं पर Danger Post लगाना होगा, जिससे कि आमजनों इत्यादि का इस ओर ध्यान आकृष्ट हो सके।

6. पुल निर्माण के दौरान नदी के धारा/जलप्रवाह को किसी भी परिस्थिति में अवरूद्ध नहीं करना होगा ताकि जलप्लावन की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

7. पुल के निर्माण के पश्चात् मरम्मति एवं संपोषण का कार्य एवं व्यय का वहन कार्यकारी विभाग NHAI, Project Implementation unit, Muzaffarpur द्वारा किया जायेगा।

8. बागमती नदी के चाट भूमि या नदी के किसी भी भाग से मिट्टी नहीं काटी जायेगी एवं नदी के बेड लेवल को किसी भी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं किया जायेगा।

9. यह सुनिश्चित करना होगा कि पुल पथ निर्माण के कारण किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही हो तथा अन्य जलीय संरचना क्षतिग्रस्त नहीं हो।

10. बागमती नदी के सेवापथ में Continuity हेतु नदी के दोनो तरफ के तटबंध में आवश्यक कार्य यथा Diversion सड़क, Ramp and Extra widening आदि का निर्माण कार्यकारी विभाग NHAI, Project Implementation unit, Muzaffarpur को स्वयं के व्यय पर करना होगा।

11. नदी का Morphology अक्षुण्ण रखना होगा। बाढ़ अवधि में पुल निर्माण के पास नदी के Behaviour की सतत् निगरानी एवं आवश्यकतानुसार जल संसाधन विभाग को सूचना देकर बाढ़ संघर्षात्मक/सुरक्षात्मक कार्य कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी एवं देयता कार्यकारी विभाग (NHAI, Project Implementation unit, Muzaffarpur) की होगी एवं इस संबंध में जल संसाधन विभाग के अभियंताओं का परामर्श/दिशा निर्देश का शतप्रतिशत अनुपालन करना होगा।

12. कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल पर बचे हुये किसी प्रकार के अवशेष निर्माण सामग्री/खुदाई के क्रम में Excavated Materials को पूर्ण रूप से हटाना होगा।

13. पुल निर्माण में किसी प्रकार की दुर्घटना/अनदेखी की पूरी जवाबदेही NHAI, Project Implementation unit, Muzaffarpur की होगी।

14. पुल निर्माण से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा।

15. कार्य कराते वक्त जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करना होगा।

16. यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गमन के क्रम में सैद्धान्तिक सहमति केवल जल संसाधन विभाग की तरफ से है एवं अन्य विभागों से यदि आवश्यक हो तो अनापत्ति प्रमाण–पत्र अलग से प्राप्त करना होगा।

17. कार्य के दौरान नदी/तटबंध पर उत्पन्न किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति की जिम्मेवारी NHAI, Project Implementation unit, Muzaffarpur का होगा ।

18. कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की सूचना जल संसाधन विभाग के संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता को ससमय देना होगा।

19. किसी भी प्रकार के Dispute की स्थिति में जल संसाधन विभाग का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा।

20. कटौंझा पुल के वेंटों में समय–समय पर जीम गाद की आवश्यकतानुसार सफाई कराने तथा प्रथमिकता के आधार पर पूर्व से निर्मित कटौंझा पुल पर क्लियर वाटर–वे (Clear waterway) बढ़ाने हेतु अतिरिक्त वेंटों का निर्माण बाढ़ 2027 पूर्व कराया जाना होगा।

21. Discharge Concentration को Maintain करने हेतु भविष्य में यदि पुल के किसी Vent में Silt Deposition की स्थिति दृष्टिगत होने पर कार्यकारी विभाग को उनके व्यय पर Silt Deposition को हटाना होगा।

22. **प्रथम चरण के अन्तर्गत सैद्धान्तिक सहमति में दिये गये शर्तों को समाहित करते हुए द्वितीय चरण के अन्तर्गत अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम तकनीकी प्राधिकार से संरचना का रूपांकण एवं आलेख्य अनुमोदित कराकर संबंधित अभिलेख सहित अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का प्रस्ताव मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, पटना को उपलब्ध कराना होगा।**

23. अंतिम रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के प्रस्ताव के साथ यह प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा की **"प्रस्तावित संरचना का रूपांकण एवं आलेख्य संबंधी अभिलेख सक्षम तकनीकी प्राधिकार से अनुमोदित है।"**

24. बिहार सरकार जल संसाधन विभाग का आदेश सह ज्ञापांक–यो०मो०–4(विविध)07–372/2020 पार्ट–II–143/पटना दिनांक–06.03.2025 द्वारा बिहार राज्य अंतर्गत तटबंधित नदियों के लिए लागू किए गये **Flood Plain Zoning** के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

25. विभागीय पत्रांक–608, दिनांक–05.08.2024 की कंडिका–7 एवं 8 का अनुपालन अनिवार्य होगा।

26. उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर निर्गत सैद्धान्तिक सहमति पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–
(ब्रजेश मोहन),
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

पत्रांक– बाढ़ नि0 रूपां0 प्र0–01–तक0(अना0)–49 / 2025–   पटना, दिनांक :

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर / अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, सीतामढ़ी / कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर को सूचनार्थ एवं अनापत्ति प्रमाण–पत्र में दिये गये शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

ह0 / –

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

पत्रांक– बाढ़ नि0 रूपां0 प्र0–01–तक0(अना0)–49 / 2025– 209   पटना, दिनांक : 23/07/2025

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/7/25

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।